न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 12/19 तारीख रजू:– 03.09.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. पूरण पुत्र हाकिम जाति राजपूत निवासी सालिमपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रार्थी

बनाम

1. दशरथ सिंह पुत्र सांवलसिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र सावल सिंह
3. मोहनसिंह पुत्र सांवलसिंह
4. श्योसिंह पुत्र सांवलसिंह
5. रामकटोरी पत्नि सांवल सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी सालिमपुर तहसील टोडाभीम।
6. तहसीलदार टोडाभीम।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी (सीमा निर्धारण) अन्तर्गत धारा 128, 111 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–1. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रार्थी)
2. श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट (अप्रार्थीगण 1 ता 5)

निर्णय दिनांक:– 23.10.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय से पेश किया है कि आराजी ख0न0 283 रकवा 0.33 है0 ग्राम सालिमपुर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। प्रार्थी की आराजी ख0न0 293 रकवा के उत्तरी पश्चिमी ख.न. 93 रकवा 0.66 है0 अप्रार्थीगण के नाम है। ख0न0 293 का दिनांक 27.6.18 को पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया तथा ख0न0 93, 94 का दिनांक 24.6.19 को सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थी के ख0न0 293 तथा अप्रार्थी के ख0न0 93 लगवा है। प्रार्थीगण आये साल प्रार्थी की डौल–मैड को हलो से तोडते रहे है। पूर्व मे भी विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया, सीमाज्ञान मे सीमा बताते समय प्रार्थी की जमीन का कुछ भाग अप्रार्थी की जमीन मे बताया गया, लेकिन सीमाज्ञान की रिपोर्ट मे कही भी अंकित नही किया गया।

बाका दिनांक 16.8.19 का है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से प्रार्थी की आराजी ख0न0 293 के सीमा तक छोडने को कहा तो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया इस पर प्रार्थी तहसीलदार टोडाभीम के यहा गया और प्रार्थी की आराजी मे पत्थर गढी करने को कहा तो उन्होने मना कर दिया न्यायालय के आदेश लेकर आओ तो हम पत्थर गढी करवायेगे। इस कारण से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थी की आराजी ख0न0 293 रकवा 0.33 है0 ग्राम सालिमपुर की सीमा दर्शित करवाकर पत्थर गढी करवाने के आदेश फरमाये जावे। सीमा निर्धारित चिन्हो का खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी न0 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही। अप्रार्थी न0 1 ता 5 की ओर से जरिये वकील जबाब पेश किया कि ख0न0 283 प्रार्थी की कब्जेकाश्त की आराजी नही

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

है। आराजी ख0न0 293 के उत्तरी पश्चिमी दिशा मे ख0न0 93 होना स्वीकार है लेकिन ख0न0 93 का रकवा 0.66 नही होकर 0.68 है0 है। ख0न0 93 की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है। कि अप्रार्थीगण आये साल डोल–मेड को हलो से तोडते रहते है। प्रार्थी का यह कहना भी गलत है। कि पूर्व मे विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान कराया हो। तथा सीमाज्ञान मे बताते समय प्रार्थी की जमीन का कुछ भाग अप्रार्थीगण की आराजी मे बताया हो। उक्त तथ्य सीमाज्ञान की रिपोर्ट मे कही अंकित किया हो। जब प्रार्थी की कोई जमीन अप्रार्थीगण की आराजी मे है ही नही तो सीमाज्ञान की रिपोर्ट मे अकित होने का प्रश्न ही नही होता है। बाका दिनांक 16.8.19 की घटना होना असत्य है। सही बात यह है कि अप्रार्थी के ख0न0 93 व 94 के हिस्से पर प्रार्थी ने कब्जा कर रखा है। ख0न0 93 रकवा 0.68, 94 रकवा 0.15, स्थित ग्राम सालिमपुर जो अप्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थर गढी करवाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा वकील अप्रार्थी ने भी जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को भी दोहराया वकील उभयपक्ष ने सहमति पृकट की कि आराजी ख0न0 293, 93, 94 का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अतः वकील उभयपक्षकारान की सहमति दर्ज कराने से तहसीलदार टोडाभीम को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सालिमपुर की आराजी ख0न0 293, 93, व 94 का नियमानुसार फीस जमा होने पर सीमाज्ञान कराकर पत्थर गढी करवाई जावे। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/10/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)